**राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

**प्रकरण संख्या : अपील/एल.आर./3316/2002/जयपुर**

राधाकिशन पुत्र चेतराम चौधरी निवासी इन्कमटैक्स कॉलोनी,
दुर्गापुरा जयपुर

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

राजस्थान सरकार

**–प्रत्यर्थीग**

एकल–पीठ
**श्री बी.एल. गुप्ता, सदस्य**

उपस्थित–
श्री भवानीसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री ओ.पी. भट्ट, राजकीय उप अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

**निर्णय**

**दिनांक 3–12–2012**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–05–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, जयपुर ने अपीलार्थी के पक्ष में ग्राम किशनबाग के खसरा नम्बर 105 रकबा 40 में से 24 बीघा भूमि का नियमन दिनांक 8–2–1963 को किया गया। बेरी जांच

आयोग द्वारा मुकदमा संख्या जी 43/1978 में पारित निर्णय में अपीलार्थी के पक्ष में 24 बीघा भूमि के किये गये नियमन को अनियमित होना बताया। आयोग की रिपोर्ट में भूमि की राशि आवंटी से वसूल करने की राज्य सरकार को सलाह दी गई। बेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत एक प्रार्थनापत्र अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। अतिरिक्त कलक्टर द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31–3–2001 से आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 8–2–1963 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील संख्या 53/2001 प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–05–2002 से निरस्त कर दी। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलायों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को किशनबाग में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 105 के कुल रकबा 40 बीघा में से 24 बीघा भूमि तहसीलदार जयपुर द्वारा पुराना कब्जा होने से राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष परिपत्रों एवं निर्देशों के तहत नियमन की गयी थी। इस प्रकार अपीलार्थी के पक्ष में विवादित भूमि का जो नियमन किया गया वह राजस्थान भू–राजस्व (कृषि परियोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत नहीं माना जा सकता है। अतः अपीलार्थी के पक्ष में विवादित भूमि के नियमन को आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही करते हुए निरस्त नहीं किया जा सकता

है। उनका कथन है कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का वर्ष 1957 से कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 8–2–1963 को विवादित भूमि का नियमन अपीलार्थी के पक्ष में किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी को विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जा सकते है या अवाप्ति नियमों के तहत ही भूमि अवाप्त की जा सकती है। अति0 जिला कलक्टर को आवंटन नियमों के तहत अपीलार्थी के नियमन को निरस्त करने का अधिकार नहीं था। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने बेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अस्पष्ट एवं कारणरहित निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी के आवंटन को निरस्त कर विधिक त्रुटि कारित की है। उनका यह भी कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने यह माना है कि अपीलार्थी को खसरा नम्बर 105 की 24 बीघा भूमि नियमन की गयी है जबकि 15 बीघा भूमि से अधिक नियमन नही की जा सकती। यदि दोनों अधीनस्थ न्यायलायों की राय में अपीलार्थी के पक्ष में केवल 15 बीघा भूमि नियमन की जा सकती थी इस हद तक तो कम से कम अपीलार्थी के आवंटन को निरस्त नहीं करना चाहिए था। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि का आवंटन न तो तथ्यों को छुपाते हुए प्राप्त किया है ना ही आवंटन नियमों के किसी नियम की अवहेलना की गयी है। विवादित आराजी का आवंटन/निमयन अपीलार्थी के पक्ष में नियमानुसार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे।

5. योग्य राजकीय उप अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित कर अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन को निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई

विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किया जावे।

6. हमने उभय पक्षों के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं विश्लेषण किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी अपने द्वितीय/तृतीय अतिक्रमण के समय सरकारी कर्मचारी था तथा तहसीलदार ने नियमन/आवंटन के नियमों की पूर्ण पालना नहीं करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया। नियमों के तहत पहले अपीलार्थी को विवादित आराजी के गैर खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिए थे। किन्तु तहसीलदार द्वारा सीधे ही विवादित आराजी का नियमन करते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। सरकारी कर्मचारी को बिना सरकार की अनुमति के भूमि का आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता। नियम 12 के तहत आवंटन की सीमा 15 बीघा थी। प्रस्तुत प्रकरण में बेरी आयोग ने पूर्ण जांच के पश्चात् अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को नियमन विरूद्ध माना है। ऐसी स्थिति में आवंटन नियम विरूद्ध होने के कारण तथा अपीलार्थी का बोनाफाईड कृषक न होना व भूमिहीन कृषक न होना इस बात का पर्याप्त आधार है कि उसके पक्ष में किया गया नियमन/आवंटन किसी भी स्तर पर तथा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बेरी आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर अपीलार्थी के पक्ष में तहसीलदार द्वारा किये गये नियम विरूद्ध आवंटन/नियमन को विधिसम्मत् निर्णय से निरस्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8. इसी प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी प्रकरण का विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें

उन्होंने प्रकरण के तथ्यों एवं अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों पर विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अतिरिक्त कलक्टर द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् माना है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में हम किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है।

9. परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 31–3–2002 एवं 22–5–2002 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( बी. एल. गुप्ता )**
सदस्य